

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान- जोशीमठ- लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण

xxxviii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र- उत्तराखण्ड

xxxix) जिला- चमोली

xl) वन प्रभाग- नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ

xli) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) - 0.738 है०

xlai) वन की कानूनी स्थिति- 0.738 है० सिविल वन भूमि

xlaii) हरियाली का घनत्व- (ईको क्लास VI) (Open Forest)

xliii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए- प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न है। भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी- भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार

xliii) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी- प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण सिविल वन भूमि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

xliii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण- नहीं।

xliii) जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर प्रस्तावित स्थल नन्दादेवी बायोस्फियर के बफर जोन का हिस्सा है।

xliii) आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी अनुबन्धित की जाए)-

xliii) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजत की दुर्लभ- नहीं।

l) /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/- नहीं।

रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मांग-1 कालम 2 में प्रस्तावित- वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण लिए वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया- नहीं। है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

मोटर मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

- xxxix. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित- वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। सलग्न है।
- xl. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित- वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। -
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। प्राक्कलन के अनुसार।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल- वित्तीय परिव्यय। ₹0 75630.00
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित- क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः- उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) सलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- lxvi. जिला का भौगोलिक क्षेत्र- 803000.00 है०
- lxvii. जिला का वन क्षेत्र- 514792.00 है०
- lxviii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 121 मामलों में 856.2745 है० वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- lxix. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित- 578.081 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर- रिक्त
- तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर- 530.866 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर- रिक्त
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने- के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक.-

स्थान.- जोशीमठ

हस्ताक्षर

नाम-

उप वन संरक्षक
(चन्द्रशेखर जोशी)
उप वन संरक्षक
जोशीमठ (यनोली)
सरकारी मोहर